

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र./स्था./2026/5634.

जबलपुर, दिनांक: 20/11/26

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 (छात्र शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की कंडिका-05 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में निम्नानुसार छात्र शिकायत निवारण समिति (एस.जी.आर.सी.) का गठन किया जाता है।

- | | |
|---|------------------------|
| 1. प्रो. सुरेन्द्र सिंह आचार्य बायोसाइंस | - अध्यक्ष |
| 2. प्रो. गमता राव आचार्य विधि विभाग | - सदस्य |
| 3. प्रो. अलका नायक आचार्य शारीरिक शिक्षण विभाग | - सदस्य |
| 4. डॉ. वीणा बाजपेई | - सदस्य |
| 5. डॉ. अश्विनी जायसवाल सहायक प्राध्यापक | - सदस्य |
| 6. श्री निखिल कुमार गुप्ता (एम.ए.प्रथम राजनीति शास्त्र) | - विशेष आमंत्रित सदस्य |

उपरोक्त समिति का कार्यकाल प्रावधानानुसार 02 वर्ष होगा तथा विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा। समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्र शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की कंडिका-05 में वर्णित प्रावधानानुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करेगी।

आदेशानुसार

सहायक कुलसचिव (स्था.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर।

पृ. क्र./स्था./2026/5634

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

जबलपुर, दिनांक: 20/11/26

1. उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यगण रा.दु.वि.जबलपुर।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण रा.दु.वि.जबलपुर।
3. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.जबलपुर।
4. कुलगुरु महोदय/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.जबलपुर।
4. सूचना पटल रा.दु.वि.जबलपुर।
4. संबंधित नस्ती।

सहायक कुलसचिव (स्था.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।